A3/1

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन न. RCMS 2023/12

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0
अपील इंतकाल प्रकरण सं0 02/2023

1. कान्हा राम पुत्र श्री प्रेमराम, निवासी उड़ीवाला, पंचायत जीवनदेसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच, 27 एम.एल. (साजनवाला), ग्राम पंचायत जीवनदेसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजकुमार पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार निवासी जीवनदेसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. ललित कुमार पुत्र विजेन्द्र कुमार निवासी जीवनदेसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. ओमप्रकाश पुत्र प्रेमराज, निवासी जीवनदेसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत जीवनदेसर खसरा रजि0 जिसमें प्लाट नम्बर 7(राजकुमार व ललित कुमार पिसरान विजेन्द्र कुमार व प्लाट संख्या 77 ओम प्रकाश पुत्र प्रेमराज के नाम हस्तारंतरण किया गया है को निरस्त किए जाने बाबत।

उपस्थित :

1. श्री जगमोहन आहुजा अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5

:: आदेश ::

दिनांकः 09.10.2023

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ''

1. प्रार्थी ग्राम पंचायत जीवनदेसर पंचायत समिति पदमपुर का निवासी एवं काश्तकार पेशा है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा आबादी भूमि का विक्रय–विलेख दिनांक 02.02.1963 को जीवनदेसर पंचायत जो राजस्थान पंचायती एक्ट 1953 के तहत स्थापित की गई है, द्वारा दिनांक 02.02.1963 को प्लाट नम्बर 76 व 77 दरगज 1400 प्रति अहाता कुल 2800 दरगज का पट्टा जारी किया गया था जो आज भी प्रार्थी के नाम चला आ रहा है। इसको किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। पट्टे की प्रतिलिपियां साथ सलंग्न है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा ग्राम पंचायत जीवनदेसर के पूर्व सरपंच से मिलकर प्लाट संख्या 76 दरगज 1400 वर्गगज अपने नाम से बिना किसी अधिकार के और बिना कोई दस्तावेज के मिलीभगत कर अपने नाम हस्तांतरण करवा लिया है जो कि नियम–विरूद्व एवं कानून की अवहेलना में किया गया है, जिसे वह किसी प्रकार विधिक रूप से हस्तांतरण करवाने का

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/2

अति.जिला कल... श्रीगंगानगर

अधिकारी नहीं था। इस प्रकार ग्राम पंचायत जीवनदेसर के खसरा रजिस्टर (इंतकाल) में किया गया, यह इन्द्राज कानून के विपरीत है और निरस्ती के काबिल है।

2. यह कि इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा ग्राम पंचायत जीवनदेसर के पूर्व सरपंच से मिलकर प्लाट संख्या 77 दरगज 1400 वर्गगज अपने नाम से बिना किसी अधिकार के और बिना कोई दस्तावेज के मिलीभगत कर अपने नाम हस्तांतरण करवा लिया है जो कि नियम–विरूद्व एवं कानून की अवहेलना में किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत जीवनदेसर के खसरा रजिस्टर (इन्तकाल) में की गई यह इन्द्राज कानून विपरीत है और निरस्ती के काबिल है।

3. यह कि ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा उपरोक्त प्लाट नम्बर 76 व 77 का जो ट्रांसफर अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 के नाम किया गया है वह पंचायत में बने नियमों के प्रावधानो के विपरीत किया गया है क्योंकि इसे ट्रांसफर करने के लिए उसे किसी प्रकार से प्रार्थी से कोई भी सहमति पत्र एवं बिना कोई सुनवाई के एवं बिना किसी बेचान के अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के नाम से हस्तांतरण कर दिया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है।

4. यह कि उपरोक्त हस्तांतरण ग्राम पंचायत के रजिस्टर में बिना किसी प्रस्ताव के पारित किए किया गया है, जो कि कानूनन किसी प्रकार से उचित नहीं है और ना ही इस प्रकार से कोई हस्तांतरण सम्बन्धी कार्यवाही पंचायत के रजि0 में उपलब्ध है कि किस प्रकार से उक्त हस्तांतरण की कार्यवाही अमल में लाई गई है और ना ही जिनके पक्ष में हस्तांतरण किया गया है, उनके पात्रता की जांच की गई है।

5. यह कि ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा बिना किसी प्रस्ताव के उक्त हस्तांतरण की गई है, वह विधि–विरूद्व एवं गैर कानूनी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण प्लाट नम्बर 76 व 77 को अपने नाम से बिना किसी दस्तावेज के हस्तांतरण किया गया है, उस पर वह निर्माण करवाना चाहता है जो कि बिना किसी अधिकार के है और कानूनन अप्रार्थीगण को रोका जाना आवश्यक है।

अतः निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त प्लाट नम्बर 76 व 77 जो बिना किसी अधिकार के अप्रार्थीगण द्वारा अपने नाम से हस्तांतरण करवा लिया है उसको निरस्त किया जावें।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि :–

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानकर्ता कान्हाराम ने श्रीमान अदालत में ग्राम पंचायत जीवनदेसर के खसरा रजिस्टर प्लाट नंम्बर 76 राजकुमार व ललित कुमार पिसरान विजेन्द्र कुमार व प्लाट नम्बर 77 ओमप्रकाश पुत्र श्री प्रेमराज के पक्ष में किये गये हस्तान्तरण को निरस्त किये जाने बाबत पेश की है जिसमें उनके द्वारा दिनांक 02.02.1963 को उनके नाम प्लाट नम्बर 76, 77 का पट्टा जारी किया गया जो आज भी निगरानीकर्ता के नाम है। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा पूर्व से मिलकर उक्त दोनों प्लॉट बिना किसी दस्तावेज व मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करवा लिये है जबकि यह इन्द्राज कानून के विपरीत है। मुझ निगरानीकर्ता की सहमति व सुनवाई के बिना तथा बिना पंचायत के प्रस्ताव के उक्त हस्तान्तरण उचित नहीं है, निरस्त किया जावें। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस जारी हुए तथा हम निगरानीकर्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र व कानूनी ऐतराज पेश किये।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/3

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता के निम्न तर्को के आधार पर निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 18.10.1987 को हम गैर–निगरानीकर्ता को अपने दोनो प्लॉटों को उक्त समय के बाजार भाव व पूर्ण प्रतिफल लेकर विक्रय कर दिया था चूंकि बैयनामा 100/– रूपये से कम कीमत का था इसलिए उसको रजिस्टर्ड करवाने की आवश्यकता नहीं थी। इस बारे में नजीर निम्न है:–
   2021 डीएनजे रेवेन्यू पेज 1054.....(अ) **No Registration of sale deed was necessary since the sale of consideration was below rupee 100/-,**
2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में निगरानी अन्दर मियाद होने का उल्लेख किया है तथा पंचायत अधिनियम की धारा 97 में मियाद का कोई उल्लेख नहीं है। कानूनन जिस अधिनियम में मियाद का उल्लेख नहीं है वहां अनुच्छेद 113 व 137 परिसीमा अधिनिमय के तहत ऐसे अधिनियमों में समयावधि 3 वर्ष निश्चित है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त हस्तान्तरण इंतकाल के आदेश को करीबन 35 वर्ष बाद चुनौती दी गई है व इसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। इस कारण सरीहन मियाद बाहर होने के कारण निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

   इस बारे में नजीर निम्न है :–

   2021 डीएनजे रेवेन्यू पेज 1054.....**Mutionation is fiscal proceeding and cannot be cancelled by way of appeal after 34 Years.**
3. यह कि बरोज बैयनामा से जो हक व अधिकार विक्रेता कान्हाराम को थे वे समस्त हक व अधिकार दिनांक 18.10.1987 के बाद हम गैरनिगरानीकर्ता को प्राप्त हो गये है। हम गैरनिगरानीकर्ता के हक में दिनांक 18.10.1987 को विक्रय किये गये बैयनामा जब तक अस्तित्व में है तथा दीवानी न्यायालय द्वारा इस दस्तावेज बैयनामा को शून्य अथवा निरस्त घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक इस रजि0 बैयनामा की रूह से हुए हस्तान्तरण को निरस्त करने की सुनवाई करने की अधिकारिता श्रीमान न्यायलाय को नहीं है इसलिए निगरानी खारिज होने योग्य है।

   इस बारे में नजीर निम्न है :–

   2023(3) डीएनजे सुप्रीम कोर्ट पेज 831..... **Title in the property is transferred on the execution of the Register sale deed.**
4. यह कि निगरानीकर्ता ने उक्त प्लॉटों के कब्जा बाबत माननीय न्यायलय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पदमपुर के यहां स्थाई निषेघाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो जेरकार है जिसमें उनके द्वारा दख्लांदाजी, अतिक्रमण व निर्माण नहीं करने का अनुतोष चाहा है उनके द्वारा जानबूझकर उक्त बैयनामा को कोई चुनौती नहीं दी है अगर बैयनामा कानून सम्मत् नहीं होता तो वह उसकी चुनौती देते। इस कारण निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।
5. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा बैयनामा के बारे में आक्षेप उठाया हे कि बैयनामा में केता दलीप कुमार, राज कुमार व ललित कुमार को विक्रय किया है जबकि प्लॉट संख्या 77 का इंतकाल ओमप्रकाश पुत्र प्रेमराज के नाम से दर्ज किया गया है। इस कारण उक्त बैयनामा सही नहीं है जबकि कान्हाराम निगरानीकर्ता को बैयनामा करवाने के बाद, अपना हक व हिस्सा हस्तान्तरित करने के बाद केता की जिम्मेवारी होती है कि उक्त बैयनामा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ अथवा नहीं। दलीप कुमार की जगह ओमप्रकाश का नाम इंतकाल में दर्ज कर दिया गया है तो उससे

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विकेता ना तो व्यथित होता है और ना ही प्रभावित होता है अगर इस इन्तकाल से कोई प्रभावित होता है तो वह दलीप कुमार है। इस कारण कान्हाराम किसी भी प्रकार से प्रभावित, हितबद्व व व्यथित पक्षकार नहीं होने के कारण निगरानी पेश करने का अधिकारी नहीं है। इस कारण निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह कि रजिस्टर्ड बैयनामा के इंतकाल के विरूद्व अगर निगरानीकर्ता अपने को प्रभावित मानता है तो वह सक्षम न्यायलय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। निगरानी के द्वारा वह इंतकाल निरस्त नहीं किया जा सकता। इस कारण निगरानी खारिज होने योग्य है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन,मियाद बाहर व श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की नही होने के कारण खारिज की जावें।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि :–

1. यह कि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत जीवनदेसर का रहने वाला है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के हक में विकय–विलेख (पट्टा) दिनांक 02.02.1963 को राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 के अन्तर्गत बने नियम के अन्तर्गत प्लाट संख्या 76 व 77 कुल 2800 दरगज निगरानीकर्ता के नाम से पट्टा जारी किया गया था, जो आज भी निगरानीकर्ता के नाम पर चला आ रहा है को किसी भी न्यायालय द्वारा इसे निरस्त नहीं किया गया है।
2. यह कि गैर–निगरानीकर्ता /अप्रार्थी संख्या 3 राजकुमार पुत्र विजेन्द्र निवासी जीवनदेसर, अप्रार्थी संख्या 4 ललित कुमार पुत्र विजेन्द्र व अप्रार्थी संख्या 5 ओमप्रकाश पुत्र प्रेमराज द्वारा पंचायत जीवनदेसर के पूर्व सरपंच से मिलीभगत कर प्लाट नम्बर 76 बिना किसी आधार के बिना किसी दस्तावेज के निगरानीकर्ता के भूखण्ड को हड़पने की नियत से पांच रूपये के स्टाम्प पर बैयनामा अंकित करते हुए अहाता संख्या 76 व 77 खरीद कर वर्ष 1987 में ग्राम पंचायत में खसरा रजिस्टर में तस्दीक होना अंकित कराया, जो ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी अधिकार के व बिना किसी कानूनी प्रकिया अपनाए खसरा रजिस्टर में अंकण कर दिया गया है, यह जानते हुए कि उक्त भूखण्ड पर कब्जा निगरानीकर्ता का दिनांक 02.02.1963 से ही चला आ रहा है जिसका पट्टा (विकय–विलेख) 112/– रूपये की बोली देते हुए पंचायत एक्ट में बने प्रावधान अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा खरीद किया हुआ है, इस तथ्य की जानकारी होते हुए ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी सूचना व सुनवाई के अविधिक तौर पर खसरा रजिस्टर में इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के नाम कर दिया है। प्लाट संख्या 76 अप्रार्थी संख्या 3 व 4 व प्लाट नम्बर 77 अप्रार्थी संख्या 5 के नाम कर दिया गया है, जिसकी जानकारी होने पर उक्त निगरानी पेश कर दी गई जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की होने के कारण पेश की गई है जिसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन को पुष्ट भी किया गया। इस सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 द्वारा प्रस्तुत होकर लिखित बहस में दर्ज किया गया है कि दिनांक 18.10.1987 को दोनो प्लाटों को उक्त समय के बाजार भाव व पूर्ण प्रतिफल देकर खरीद करना व 100/–रूपये कम कीमत अंकित कर मालिक होना बताया है जबकि निगरानीकर्ता को वर्ष 1963 में 112/– रूपये की बोली पर बेचा गया तथा पंचायत नियमों के प्रावधानों को अपनाते हुए विकय–विलेख भूखण्ड संख्या 76 व 77 कुल साईज 2800 दरगज दिनांक 02.02.1963 को जारी

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किया गया, जबकि गैरनिगरानकर्ता द्वारा उक्त भूखण्ड को 90/– रूपयें में खरीद करना बतलाकर मिलीभगत करके किया गया है, जो किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है क्योंकि जो पट्टा निगरानीकर्ता ने 112/– रूपयें में खरीदा गया हो तो वह 90/– रूपये में किसी प्रकार से बेचान करना मानने योग्य नहीं है जिस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच से पृष्ठांकन करने का किया गया जो कि फर्जी दस्तावेज है जिसमें ग्राम सपंचायत द्वारा अंकित किया गया है कि खसरा रजिस्टर में अहाता संख्या 76 आबादी भूमि के अलावा अन्य दस्तावेज नहीं अंकण है। इस आधार पर भी निगरानीकर्ता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जो कि फर्जी दस्तावेज है। इसी प्रकार से प्लाट नम्बर 77 तथाकथित दस्तावेज वर्ष 1987 में दलीप कुमार पुत्र प्रेमराज जाति कुम्हार को बेचान करना बताया , जबकि खसरा रजिस्टर में पूर्व सरपंच से मिलकर ओमप्रकाश पुत्र प्रेमराज के नाम दर्ज करना बताया है जो कि अपने आप में इस तथाकथित दस्तावेज को फर्जी होना साबित करता है, जहां तक गैर– निगरानीकर्ता का यह कहना कि यह दस्तावेज विधिक दस्तावेज है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि इस पर 90/–रूपये का अंकण इसलिए किया गया है क्योंकि 100/– रूपये से कम दस्तावेज को रजिस्टर करवाने की आवश्यकता नहीं होती , केवल इसी तथ्य को सिद्व करने के लिए यह फर्जी दस्तावेज जिसे रजिस्टर्ड दस्तावेज की परिभाषा में नहीं माना जा सकता।

3. यह कि गैरनिगरानीकर्ता का यह कथन करना कि निगरानी 35 वर्षो बाद प्रस्तुत की गई , जो कि मियाद बाहर है जबकि पंचायत एक्ट में मियाद की बाबत कोई भी अवधि का उल्लेख नहीं है। पंचायत एक्ट एक स्पैशल एक्ट है, जिस पर जनरल एक्ट के प्रावश्धान लागू नहीं होते है। गैरनिगरानीकर्ता का यह कहना कि उसे जिस एक्ट में मियाद नहीं दी गई हो उस पर अनुच्छेद 113 व 137 परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होते है, जिसकी समयावधि 3 वर्ष अंकित है, यह तथ्य बिलकुल निराधार है क्योंकि पंचायत एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, जिस पर जनरल एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है और गैरनिगरानीकर्ता ने स्वयं लिखित बहस के पैरा संख्या 2 में निगरानी में मियाद नहीं होना स्वीकार किया है। इस प्रकार से मियाद का बिन्दु जो उठाया गया है, वह कानूनन उचित नहीं है जहां तक गैरनिगरानीकर्ता का यह कहना कि इंतकाल एक **Fiscal Entry** है जिसको अपील के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है इस पर निवेदन है कि डी.एन.जे. 2021 पेज 1054 का आधार पेश किया है यह मामला हाजा पर लागू नहीं होती है क्योंकि यह इंतकाल केवल राजस्व रिकॉर्ड के इंतकाल के सम्बन्ध में ना कि पंचायत एक्ट में बने प्रावधनों में है। जहां तक वकील गैरनिगरानीकर्ता का यह कहना कि दिनांक 18.10.1987 का विक्रय–पत्र अस्तित्व में है और इसको केवल दीवानी न्यायालय ही निरस्त कर सकता है यह आधार भी उचित नहीं है क्योंकि किसी भी आधार पर कोई दस्तावेज 5 रूपये पर गैर–कानूनी तौर पर तैयार किया गया, उससे गैरनिगरानीकर्ता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसलिए यह आधार जो लिखित बहस में लिए गए है मानने योग्य नहीं है।

4. यह कि गैरनिगरानीकर्ता उक्त प्लाटों के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायलाय में वाद पेश कर रखा है, भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि यह वाद आज रोज कोई विचाराधीन नहीं है इसको वापिस ले लिया गया है, अपितु यह विचाराधीन भी होता तो भी उसका कोई विपरीत प्रभाव वर्तमान प्रकरण नहीं होता।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/6

5. यह कि गैरनिगरानीकर्ता का अपनी लिखित बहस में यह कहना कि जहां तक प्लाट नम्बर 77 का इन्द्राज दलीप कुमार के नाम से होना दस्तावेज में अंकित किया गया था, उसको ओमप्रकाश के नाम खसरा रजिस्टर में दर्ज किया गया है, उसको चुनौती देने का अधिकार दलीप कुमार को ही है, गलत है क्योंकि यह निवेदन दस्तावेज के फर्जी का निवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा यह तस्दीक भेजी गई है मात्र इस खसरा रजिस्टर के अलावा अन्य कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि पंचायत एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत किसी दस्तावेज को सर्वप्रथम कार्यवाही हेतु पंचायत के समक्ष रखा जाता है और पंचायत में दर्ज कर मिटिंग में प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके बाद ही कोई कार्यवाही पूर्ण होती है, जबकि मौजूदा मामला में कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि पंचायत द्वारा लिखा गया है कि इसके अलावा अन्य कोई रिकॉर्ड हमारे यहां उपलब्ध नहीं है।

अतः लिखित बहस पेश अर्ज करके निवेदन है कि निगरानी पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश की गई है इसलिए निगरानी स्वीकार की जाकर खसरा रजिस्टर में इन्द्राज प्लाट नम्बर 76 व 77 को निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया। कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा अहाता संख्या 76 व 77 का जो खसरा रजिस्टर में इन्द्राज किया गया है वह पंचायत राज अधिनियम 1953 के प्रावधानों की पालना में नहीं किया गया पाया जाता है क्योंकि पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत जीवनदेसर के पत्रांक 11 दिनांक 25.04.2023 में अंकित किया है कि "ग्राम पंचायत जीवनदेसर व अन्य से सम्बन्धित प्लाट नम्बर 76 व 77 से मूल खसरा रजिस्टर नगर(1) आपको जमा करवाया जा रहा है" । ग्राम पंचायत द्वारा जब भी पट्टा या इन्तकाल का आदेश पारित किया जाता है तो विधिवत् रूप से प्रस्ताव पारित कर सम्बन्धित पक्षकारान को सुनकर पारित किया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड उक्त विवादित प्लाट नम्बर 76 व 77 से सम्बन्धित पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त विवादित अहातो का इन्द्राज खसरा रजिस्टर में करते वक्त सम्बन्धित पक्षकारान को सुना गया हो।

जहां तक गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा उक्त अहाता का बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 18.10.1987 को निगरानीकर्ता कान्हाराम द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 ता 5 को होना बताया है। सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त अहाते वर्ष 1963 को 112/– रूपये में निलामी द्वारा खसरा रजिस्टर के इन्द्राज अनुसार क्रय किया गया है जो वर्ष 1987 में जरिये बैयनामा 5/–रूपये के स्टाम्प पर 90/– रूपये में अहाता संख्या 77 दलीप कुमार पुत्र प्रेमराज साकिन हरखेवाला व अहाता संख्या 76 ललित कुमार पुत्र विजेन्द्र कुमार व राजकुमार पुत्र विजेन्द्र कुमार को बैय करना बताया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त बैयनामा के आधार पर खसरा रजिस्टर में अंकन जो किया गया है वह अहाता संख्या 77 का अंकन ओमप्रकाश पुत्र प्रेमराज के नाम का किया गया है जबकि बैयनामा अनुसार उक्त अहाता दलीप कुमार पुत्र प्रेमराज साकिन हरखेवाला के नाम से बैय किया गया है। गैरनिगरानीकर्तागण का यह कथन कि 100/–रूपये से कम दस्तावेज का रजि0 करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है सही है परन्तु जो अहाता वर्ष 1963 में 112/–रूपये में क्रय किया वह अहाता वर्ष 1987 में 90/–रूपये में बैय किया गया सही नही है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/7

जहां तक मियाद के बिन्दु का प्रश्न है पंचायत एक्ट में मियाद बाबत कोई भी अवधि का उल्लेख नहीं है। पंचायत एक्ट एक स्पैशल एक्ट है, जिस पर जनरल एक्ट के प्रावश्धान लागू नहीं होते है। गैरनिगरानीकर्ता का यह कहना कि अनुच्छेद 113 व 137 परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होते है, जिसकी समयावधि 3 वर्ष अंकित है, यह तथ्य निराधार है क्योंकि पंचायत एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, जिस पर जनरल एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। जिस पर अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर AIR 2015 RAJASTHAN 105 चस्पा होनी पाई जाती है। गैरनिगरानीकर्ता ने स्वयं लिखित बहस के पैरा संख्या 2 में निगरानी में मियाद नहीं होना स्वीकार किया है। अतः गैरनिगरानीकर्ता का यह कथन कि निगरानी मियाद के बाहर पेश की गई खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेखीय आलोक में कानूनी प्रावधानों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा निगरानी के तहत वर्णित/आक्षेपित गैर निगरानीकर्ता नम्बर 3 ता 5 के नाम खसरा रजिस्टर में दर्ज इन्तकाल 1400 विहित प्रावधानों एवं प्रकिया/मार्गदर्शक सिद्वांतों की अवहेलना कर जारी किया गया है इसलिए इन्हे बहाल रखा जाना विधि की दृष्टि में उचित नहीं है। निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है। निगरानीधीन अहाता संख्या 76 व 77 का इन्तकाल संख्या 1400 (अकमांकित एवं बिना स्पष्ट हदूदों के विवरण) जो गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 ता 5 के नाम जारी है, खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 09.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर